उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–31/2019–20

परिक्षित मंडल एवं अन्य

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक

सभी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता परिक्षित मंडल, पे0–स्व0 उक्कु मंडल वो सुमन कुमार मंडल वो दिव्येन्दु मंडल, पे0–परिक्षित मंडल, सा0–प्रेमटोला अमरपुर, पथरा, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–01/2017–18 आदेश दिनांक–14.09.2019 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–01/2017–18 के आदेश दिनांक–14.09.2019 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–अमरपुर नं0–534 जमाबंदी सं0–103 कुल रकवा 15–04–00 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में पांचू मंडल, पे0–भादु मंडल के नाम से दर्ज है। गत जमाबंदी रैयत पांचू मंडल का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

पांचू मंडल (ज0रै0)
↓
मोसम्मात बसिया
↓
परिक्षित मंडल (अपीलकर्त्ता नं0–1)

सुमन मंडल (अपीलकर्त्ता नं0–2) — दिव्येन्दु मंडल (अपीलकर्त्ता नं0–3)

उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–229 की जमीन कुछ भाग पर अपीलकर्त्तागण का मकान बना हुआ है, जिसमें अपीलकर्त्ता सुमन मंडल के नाम से विद्युत कनेक्शन भी लगा हुआ है तथा उक्त जमीन पर इंडिका, सागवान, पाम, चौड़रा इत्यादि वृक्ष अपीलकर्त्तागण के पूर्वज के द्वारा लगाया गया है। अपीलकर्त्तागण के पूर्वज के समय से उक्त जमाबंदी की जमीन का लगान भुगतान करते आ रहे

है। उत्तरवादी बिल्कुल ही बाहरी है। अपीलकर्त्तागण की जमीन से उत्तरवादी का कोई संबंध नहीं है। उत्तरवादी ने जाली बदलनामा तथा फर्जी मुटेशन के आधार पर अपीलकर्त्तागण के उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–229 रकवा 01–07–17 धुर जमीन पर दावा कर रहा है तथा असामाजिक तत्वों के सहयोग से उक्त जमीन अवैध ढंग से कब्जा किया है। उत्तरवादी ने दाग नं0–229 रकवा 01–07–17 धुर जमीन दाग नं0–943 रकवा 00–15–00 धुर जमीन से बदलैन का दावा किया गया है। लेकिन दाग नं0–943 से की गयी बदलनामा गलत है। क्योंकि मौजा–अमरपुर के दाग नं0–943 की जमीन जमाबंदी रैयत सिदो किस्कू के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी जमाबंदी रैयत सिदो किस्कू के वंशवृक्ष में नहीं आते हैं। गलत ढंग से उक्त जमीन का बदलनामा किया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता परिक्षित मंडल को उक्त दाग नं0–229 की जमीन पर अवस्थित वृक्ष की चोरी करने के आरोप में मामला दायर किया गया था। अपीलकर्त्ता परिक्षित मंडल को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के अपील वाद सं0–63/94 में पारित आदेश के द्वारा बरी कर दिया गया है। इस प्रकार उत्तरवादी को अपीलकर्त्ता के जमीन पर कानूनी रूप से अधिकार नहीं है। लेकिन निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं कागजातों पर विचार नहीं किये बिना ही आदेश पारित किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से अपील अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दिया गया है। अपील आवेदक के आलोक में उत्तरवादी को नोटिश दिया गया।

मध्यागन्तुक पक्षकार चामू किस्कू के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–अमरपुर जमाबंदी सं0–103 दाग नं0–229 रकवा 01–07–17 धुर जमीन गेंजर सटलमेंट रैयत पांचू मंडल से संबंधित है। उक्त जमीन आर0ई0आर0 केश नं0–415/38–39 (एस0एन0 सिंह बनाम् पांचू मंडल) के माध्यम से मध्यागन्तुक पक्षकार के फुआ मो0 रानी किस्कू को प्राप्त हुआ है। मो0 रानी किस्कू अपने जीवन काल में उक्त जमीन पर दखलकार रही और मो0 रानी किस्कू के मृत्यु के बाद उक्त जमीन मध्यागन्तुक चामू

किस्कू के दखल कब्जा में आया। मो0 रानी किस्कू और मध्यागन्तुक का संबंध वंशावली से स्पष्ट है। वंशावली निम्न प्रकार है :–

सिदो किस्कू(ज0रै0)
↓
रानी किस्कू
पति–बाघराय टुडू
सा0–बोकडाबांध, जिला–पाकुड़
↓
जोहन टुडू
↓
केथरीन टुडू — वायलेट नीलिया टुडू (उत्तरवादी)

छोटा खेपा किस्कू(ज0रै0)
↓
चामू किस्कू
(मध्यागन्तुक पक्षकार)

उनका आगे कथन है कि उक्त जमाबंदी के अन्य रैयतगण नावल्द फौत गये। जमाबंदी रैयत को एक मात्र पुत्री मो0 रानी किस्कू थी। संथाल कानून के अनुसार पुत्री को जमीन पर हक नहीं दिया गया है। इसलिए उक्त जमीन आवेदक के हक एवं दखल में रहा। अपीलकर्त्ता परिक्षित मंडल को उक्त जमीन पर केश दायर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। क्योंकि उक्त जमीन से संबंधित फैसला आर0ई0आर0 केश नं0–415/38–39 में हो चुका है। मो0 रानी किस्कू उक्त जमीन का नामांतरण अपने नाम से भी करा चुकी थी, जिसका केश नं0–59/63–64 है। संथाल कानून के अनुसार उक्त जमीन का एक मात्र उत्तराधिकारी मध्यागन्तुक पक्षकार चामू किस्कू है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करते हुए मध्यागन्तुक पक्षकार के आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–अपरपुर जमाबंदी सं0–189 जो वर्तमान अपील की विषयवस्तु में से एक है, की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में सिदो किस्कू वल्द डोमन किस्कू एवं अन्य के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–943 के दखल में सिदो किस्कू का नाम दर्ज है। जमाबंदी रैयत सिदो किस्कू को एक मात्र पुत्री मो0 रानी किस्कू थी। मो0 रानी किस्कू उत्तरवादी की दादी थी।जमाबंदी रैयत सिदो किस्कू का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

सिदो किस्कू (ज0रै0)
↓
रानी किस्कू
पति–वी0बी0 टुडू
↓
जोहन एम0एम0 टुडू
↓
डॉ0 कैथरीन टुडू (मृत) — वायलेट नीलिमा टुडू (उत्तरवादी)

उनका आगे कथन है कि जमाबंदी सं0–189 के अन्तर्गत दाग सं0–943 की जमीन अलग से जमाबंदी रैयत सिदो किस्कू के नाम से दर्ज है। अपने पिता की मृत्यु के बाद मो0 रानी किस्कू उक्त जमीन पर दखलकार हुई। मध्यागन्तुक चामू किस्कू जमाबंदी रैयत सिदो किस्कू के वंशवृक्ष से नहीं आते हैं। दाग नं0–943 की जमीन गत जमाबंदी रैयत सिदो किस्कू की पुत्री मो0 रानी किस्कू के नाम से नामांतरण भी हो गया है। उनका आगे कथन है कि मौजा–अमरपुर जमाबंदी सं0–103 कुल रकवा 15–04–00 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में पांचू मंडल वल्द भादू मंडल के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी सं0–103 के अंदर दाग नं0–229 रकवा 01–07–17 धुर जमीन सिदो किस्कू एवं अन्य के नाम से दर्ज जमाबंदी सं0–189 के दाग नं0–943 का रकवा 00–15–00 धुर जमीन के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–415/1938–39 के द्वारा बदलनामा के द्वारा दिया गया है। बदलैन के बाद उक्त दाग नं0–229 रकवा 01–07–17 धुर जमीन पर मो0 रानी किस्कू दखलकार हुई। मो0 रानी किस्कू के नाम से जमीन का नामांतरण भी अंचल अधिकारी, गोड्डा के नामांतरण वाद सं0–59/1963–64 के आदेश दिनांक–08.10.1963 के द्वारा किया गया है। नामांतरण होकर अलग जमाबंदी भी कायम किया गया है तथा मालगुजारी रसीद भी निर्गत किया जा रहा है। उत्तरवादी मो0 रानी किस्कू के पुत्र जोहन टुडू की पुत्री है। इस प्रकार उत्तरवादी बदलनामा के आधार पर अपील वादगत जमीन पर दखलकार है। उत्तरवादी का उक्त जमीन पर दखल अवैध नहीं है। तसदीक सर्वे द्वारा भी नया पर्चा उत्तरवादी के पिता के नाम से तैयार किया गया है। उनका आगे कथन है कि बदलनामा का आदेश वर्ष 1938–39 में दिया गया था और उक्त बदलनामा आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता या उसके किसी भी पूर्वज के द्वारा अपील या रिविजन वाद दायर नहीं किया गया है। 80 वर्षों की अवधि के बाद अपीलकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में उच्छेदी का वाद लाया था। निम्न न्यायालय ने उत्तरवादी के दावा को संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के विपरीत नहीं पाया है। निम्न न्यायालय के आदेश में कोई अवैधता नहीं है। इसलिए अपीलकर्त्ता एवं मध्यागन्तुक का आवेदन खारिज होने लायक है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता एवं मध्यागन्तुक पक्षकार के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

सभी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखवद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलवादगत जमीन मौजा–अगरपुर थाना नं0–534 जमावंदी नं0–103 दाग नं0–229 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में पांचू मंडल वल्द भादू मंडल कौम–सुंडी साकिन–देह टोला फतेह के नाम से दर्ज है एवं जमावंदी नं0–189 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शीदो किस्कू वो शंखोवरन किस्कू, पेशरान–डोमन किस्कू वो रतु किस्कू वो भगन किस्कू, पेशरान–शीदो किस्कू वो रघुनाथ किस्कू वल्द खेपा किस्कू वो बड़ा खेपा किस्कू वल्द ठाकुरी किस्कू वो मंझला खेपा किस्कू वल्द लशो किस्कू वो छोटा खेपा किस्कू वल्द दरोगा किस्कू के नाम से दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–415 / 38–39 के आदेश दिनांक–19.10.1939 के द्वारा दाग नं0–229 बाड़ी–II रकवा 01–07–17 धुर जमीन, दाग नं0–943 बाड़ी–I रकवा 00–15–00 धुर जमीन के साथ बदलेन की अनुमति दी गई है। नामांतरण वाद सं0–59 / 63–64 आदेश दिनांक–08.10.1963 के द्वारा मो0 रानी किस्कू के नाम से नामांतरण किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के मि0 केश नं0–30 / 2020 (सुमन मंडल वनाम् निलीमा टुडू) के बीच वाद चलाया गया था, जो समाप्त किया गया। इस प्रकार वर्तमान मामला संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–20 का उल्लंघन का प्रतीत नहीं होता है। उत्तरवादी एवं मध्यागन्तुक पक्षकार की ओर से अंकित वंशावली से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी वायलेट निलीमा टुडू, मो0 रानी किस्कू के वंशज है। मध्यागन्तुक पक्षकार मो0 रानी किस्कू के वंशवृक्ष में नहीं आते हैं। इसलिए मध्यागन्तुक पक्षकार का आवेदन स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होता है तथा निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–01 / 2017–18 आदेश दिनांक–14.09.2019 को वरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन एवं मध्यागन्तुक पक्षकार के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 12:24:16 +05:30
Location: 192.168.29.32

उपायुक्त,
गोड्डा।

03/03/22
उपायुक्त,
गोड्डा।

RMA No. 31-2019-20